तत्काल

दूरभाष:- 24364120
24366794
24368158

संख्या - 6/1/2020-हिंशियो.(मु)/ 2312

भारत सरकार
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)
Government of India
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
Hindi Teaching Scheme (HQ)

7वां तल, अंत्योदय भवन,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
7th Floor, Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003

दिनांक/Dated : 9 OCT 2020

सेवा में

उप निदेशक
(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी ।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2021-22 हेतु लक्ष्य निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह सूचित करना है कि दिनांक 23/07/2020 के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या - 14034/12/2020-राभा(प्रशि.) के द्वारा प्राप्त निदेशानुसार कोविड-19 से फैले कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 के लक्ष्य लगभग आधे कर दिए गए थे। वर्ष 2021-22 के दौरान भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। जब तक इस संबंध में पुन: निदेश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक यथा स्थिति बनाए रखे जाने का निर्णय लिया गया है तथा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के हिंदी शिक्षण योजना के वार्षिक लक्ष्य भी वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्यों की भाँति निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार हिंदी शिक्षण योजना के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लक्ष्य निम्नानुसार भेजे जा रहे हैं।

2. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रत्येक वितीय वर्ष में दो सत्र होते हैं। वर्ष 2021-22 में हिंदी भाषा प्रशिक्षण का प्रथम सत्र - जुलाई, 2021 से तथा हिंदी टंकण आशुलिपि का प्रथम सत्र- अगस्त, 2021 से प्रारंभ होगा। हिंदी भाषा प्रशिक्षण का दूसरा सत्र जनवरी, 2022 से तथा हिंदी टंकण का दूसरा सत्र - फरवरी, 2022 से प्रारंभ होगा।

...2/-

का. प्रति
राम कुमार सहायक

3. वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	निर्धारित लक्ष्य								
	हिंदी भाषा			हिंदी टंकण			हिंदी आशुलिपि		
	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	**योग**	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका. केंद्र	योग
मध्योत्तर	1300	---	**1300**	780	---	780	180	----	180
दक्षिण	5590	---	**5590**	260	--	260	60	---	60
पूर्व	3510	---	**3510**	130	--	130	30	----	30
पश्चिम	2470	20	**2490**	260	--	260	60	----	60
पूर्वोत्तर	1300	20	**1320**	65	--	65	15	----	15
योग	**14170**	**40**	**14210**	**1495**	--	**1495**	**345**	----	**345**

4. इसके अतिरिक्त गत सत्रों के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा में यह देखा गया था कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के कुछ प्रशिक्षण केंद्रों पर गहन हिंदी कक्षाओं में नामांकन/दाखिला निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर, 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नामांकन प्राप्त न होने वाले केंद्रों पर तैनात सहायक निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं का संचालन करेंगे। इसके अनुपालन में उप संस्थान पुदुचेरी के 01, चेन्नै के 03, हैदराबाद / सिकंदराबाद के 02 तथा बेंगलुरु के 01 सहायक निदेशक अर्थात कुल 07 सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होने वाले सत्र की कक्षाओं का संचालन करेंगे। उनके लिए भी लक्ष्य उक्त तालिका में निर्धारित किए गए हैं।

5. **दर्शाई गई उक्त तालिका में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं में प्रति सत्र कम से कम 65 प्रशिक्षार्थी तथा दो सत्रों में प्रतिवर्ष कुल 130 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।**

6. **इसी प्रकार हर सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को प्रत्येक सत्र में कम से कम 32 तथा दो सत्रों में 65 प्रशिक्षार्थी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की कक्षा के 15 प्रशिक्षार्थी अर्थात कुल 80 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।**

7. वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी शिक्षण योजना के पाँचों क्षेत्रों में हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तथा हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्रति छमाही क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के लिए प्रति छमाही निर्धारित लक्ष्य		
	हिंदी भाषा पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी टंकण पूर्णकालिक + अंशकालिक	हिंदी आशुलिपि पूर्णकालिक + अंशकालिक
मध्योत्तर	650	390	90
दक्षिण	2795	130	30
पूर्व	1755	65	15
पश्चिम	1245	130	30
पूर्वोत्तर	660	33	08
योग	**7105**	**748**	**173**

8, उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों के अनुरूप हो। कक्षाओं के गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार कक्षाओं का गठन किया जाए । जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षाओं का नामांकन कम हुआ है, उन कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए जाएं । प्रयास करने पर भी यदि नामांकन में वृद्धि न हो पाई हो या होने की संभावना न हो तो ऐसे केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय उप निदेशक अपना विश्लेषणात्मक अभिमत भी भेजें कि किन कारणों से इन केंद्रों में नामांकन कम हुआ । ऐसे पूर्णकालिक केंद्रों के बदले अंशकालिक केंद्र खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए । वर्ष 2021-22 के दोनों सत्रों की उपलब्धि की समीक्षा भी की जाए। अगर लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उसके कारण ज्ञात कर विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए और भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जाएं। यदि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में यथाशीघ्र परिवर्तित करने तथा प्राध्यापक को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए, जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कार्य हो, समुचित प्रस्ताव भेजे जाएं। इसी तरह की समीक्षा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी अत्यावश्यक है ।

9. उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है। अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल न्यूनतम लक्ष्यों की ही प्राप्ति न की जाए अपितु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जाए ।

10. आपके क्षेत्र में जो पूर्णकालिक या अंशकालिक केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाकर यदि संभव हो तो उन्हें पुनः चालू करने की कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण कार्य में गति लाने के लिए उप निदेशक स्वयं समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें और प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान भी निकालें । कक्षाओं का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके ।

11 सत्र के प्रारंभ में संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाना तथा लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना कक्षा के गठन कार्य में बहुत उपयोगी होगा । अतः इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए ।

12 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा वहाँ पर तैनात अनुदेशकों का मार्गदर्शन भी किया जाए । ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कार्य अनुभवी सहायक-निदेशकों को सौंपा जाए, जो नियमित रूप से उनको यथोचित दिशा-निर्देश दे सकें ।

13 कृपया इस बात के भी विशेष प्रयास किए जाएं कि जहां पर पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाए।

14 हिंदी आशुलिपि की कक्षा का गठन न हो पाने की स्थिति में हिंदी टंकण की दो अतिरिक्त कक्षाएँ गठित करनी होंगी।

अनुरोध है कि प्रत्येक सत्र में कक्षाओं के गठन के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की नामांकन स्थिति केंद्रवार सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक/अनुदेशकवार प्रथम सत्र की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 तक तथा द्वितीय सत्र की रिपोर्ट 10.03.2022 तक अवश्य भेजने का कष्ट करें । साथ ही, प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । जिन कक्षाओं में कम नामांकन हुआ हो, उन कक्षाओं को अन्य दूसरी कक्षाओं में मिलाने के अनुदेश दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कि कक्षाओं में नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप हो सके। साथ ही, सभी उप निदेशक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट यथासमय मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली में डाटा सही एवं समय पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी यथा समय भिजवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीया

सुमन लाल 29.10.2020

(सुमन लाल)
प्रभारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर में तैनात), नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केहिप्रसं, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
6. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।